(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 09/2017-सेवाकर

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी, 2017

9 फाल्गुन, 1938 शक

सा.का.नि.....(अ)- जहां कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि 1 जुलाई, 2012 से प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले अवधि (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अवधि से संदर्भित किया गया है), के दौरान सामान्तया प्रचलित प्रथा के अनुसार संग्रहालय में प्रवेश देने की सेवा पर कोई सेवाकर नहीं लगाया जाता था जबकि उक्त अवधि में इस सेवा पर सेवाकर लगाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसी प्रथा के चलते उसका भुगतान नहीं किया गया।

अत: अब वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 83 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ग के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एततद्वारा यह निर्देश देती है कि वित्त अधिनियम, 1944 की धारा 66ख के अंतर्गत संग्रहालय में प्रवेश देने की सेवा पर जिस सेवाकर का भुगतान किया जाना था, लेकिन उक्त प्रथा के चलते उक्त अवधि में उसका भुगतान नहीं किया गया था, का अब भुगतान करने की जरूरत नहीं है।

[फा. सं. 137/68/2016-सेवाकर]

(डॉ. श्रीपार्वती एस.एल)

अवर सचिव, भारत सरकार